उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-10

संख्या-106/2023/यू0ओ0-54/23-10-2023-49(सामान्य)/2023

लखनऊःदिनांक 24 मई, 2023

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत वाराणसी क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के 07 सेतुओं के चालू निर्माण कार्यो हेतु कुल लागत रू0 374.37 लाख (रूपये तीन करोड़ चौहत्तर लाख सैतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-90/2023/001-686/23-10-23-49sa-2023 दिनांक 12.05.2023 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 12.05.2023 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रम सं0-2 के कॉलम-13 (अनुदान सं0-83) में टंकण त्रुटिवश अंकित धनराशि रू0 3.08 लाख के स्थान पर रू0 3.09 लाख तथा क्रम सं0-6 के कॉलम-12 (अनुदान सं0-57) में अंकित धनराशि रू0 24.94 लाख के स्थान पर रू0 24.95 लाख पढ़ा जाये।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 12.05.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष प्राविधान व शर्तें यथावत रहेंगी।

(शरद सक्सेना)
अनुसचिव।

संख्या-106/2023/यू0ओ0-54/23-10-2023-49 (सामान्य)/2023 -तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ।
3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- वित्त् नियंत्रक, लोक निर्माण उ0प्र0।
7- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
9-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
10-बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद सक्सेना)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।